



2026:AHC: 12068-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 2465/2010

शाहिद

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बृज राज सिंह, प्रेम शंकर तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

1- अपीलार्थी के विद्वान न्यायमित्र श्री औशिम लूथरा, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री मुनिराज मेहरोत्रा को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2- प्रस्तुत आपराधिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, एटा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या - 351 वर्ष 2008, थाना-गंजडुंडवारा, जनपद-कांशीराम नगर से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या - 1026 वर्ष 2008 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शाहिद) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.04.2010 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी-शाहिद को भा.द.सं. की धारा 376(2)(एफ) के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास तथा 20,000/- रुपये के जुर्माने से, और जुर्माना न भरने की दशा में दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है।

3- जब दिनांक 24.08.2008 को सुबह 9 बजे ढाई साल की एक छोटी बच्ची के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 376 के अंतर्गत अपराध किया गया, तब दिनांक 24.08.2008 को ही सुबह 10:30 बजे एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई, जिससे मुकदमा अपराध संख्या - 351 वर्ष 2008 उत्पन्न हुआ। अभियुक्त-अपीलार्थी को उक्त अपराध में संलिप्त किया गया और वह एफ.आई.आर. में नामजद भी था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- प्रथम सूचना रिपोर्ट का संस्करण यह है कि दिनांक 24.08.2008 को लगभग ढाई वर्ष की आयु वाली पीड़िता सुबह 9 बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी, जब पड़ोस में रहने वाले अपीलार्थी-अभियुक्त, अर्थात् शाहिद ने उसे साथ ले गया। कुछ समय बाद, अभियुक्त-अपीलार्थी के घर से पीड़िता की चीखें सुनाई दीं और उसके बाद सूचनादाता अर्थात् पीड़िता की माँ, पीड़िता के चाचा रईस अहमद, खलीला, नूर मोहम्मद, भूरे और अन्य व्यक्तियों के साथ शाहिद के घर गईं। जब वे अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में दाखिल हुए, तो उन्होंने पाया कि बच्ची रो रही थी और उसके गुप्त अंगों से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था और अभियुक्त-अपीलार्थी, शाहिद, अपनी पैंट ऊपर खींच रहा था। यह देखकर शाहिद के घर पहुँचने वाले सभी लोगों ने अभियुक्त-अपीलार्थी को पकड़ लिया। वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ भी बहुत आक्रोशित मुद्रा में थी। बच्ची को उसकी माँ ने अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद, वे सभी सीधे पुलिस स्टेशन गए। जैसा कि एफ.आई.आर. में कहा गया है, भीड़ का मिजाज ऐसा था कि बाजार आदि भी बंद कर दिए गए थे और उन्हें पूरा यकीन था कि अकेले अपीलार्थी ने ही अपराध किया था।

5- तत्पश्चात्, पीड़िता का परीक्षण एक डॉक्टर, अर्थात् अनीता, पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा किया गया। चिकित्सा रिपोर्ट, जो पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 14 पर संलग्न है, स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि पीड़िता के गुप्त अंगों पर किसी कठोर वस्तु के प्रवेश के कारण चोटें थीं और वह किसी पुरुष के गुप्त अंग के कारण हो सकती थीं और चोट ताजी भी थी। यह सलाह भी दी गई थी कि रोगी को निगरानी में रखा जाए।

6- इसी प्रकार, अभियुक्त का भी एक डॉक्टर, अर्थात् एस.के. गुप्ता द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्शक-3 है और पेपर बुक के पृष्ठ 9 पर है, जिसमें अत्यंत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त ने यौन अपराध का प्रयास किया था क्योंकि उसके गुप्त अंगों पर भी चोटें थीं।

7- हालांकि, चिकित्सा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि 'स्मेग्मा' उपस्थित नहीं था और इसकी अनुपस्थिति का कारण भी डॉक्टर द्वारा अपनी मुख्य परीक्षण में बताया गया है कि खतना के कारण, पूरी संभावना थी कि स्मेग्मा नहीं पाया जा सकता था। पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के बाद विचारण प्रारंभ हुआ था। पीड़िता की माँ पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में उपस्थित हुई थीं; पीड़िता के चाचा पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में उपस्थित हुए थे; डॉक्टर अनीता जिन्होंने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था, पी.डब्ल्यू.-3 के रूप में उपस्थित हुई थीं; डॉक्टर एस. के. गुप्ता अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी का चिकित्सीय परीक्षण किया था, उनका पी.डब्ल्यू.-4 के रूप में परीक्षण किया गया था; एम.एल. पांडे जिनका पी.डब्ल्यू.-5 के रूप में परीक्षण किया गया था, विवेचना अधिकारी थे और राजनारायण जिनका पी.डब्ल्यू.-6 के रूप में परीक्षण किया गया था, वह कांस्टेबल थे, जिन्होंने उनके द्वारा तैयार की गई चिक रिपोर्ट को सिद्ध किया था।

8- पी.डब्ल्यू.-1, शाहीन बेगम ने अपनी मुख्य परीक्षा में एफ.आई.आर. के तथ्य को सिद्ध किया है और उसके बाद कहा था कि अभियुक्त और केवल अभियुक्त ने ही अपराध किया था। अपनी प्रति-परीक्षा में वह अपनी उस बात पर अडिग रहीं, जो उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कही थी।

9- पी.डब्ल्यू.-2 ने भी लगभग वही तथ्य बताए थे, जो पी.डब्ल्यू.-1 ने बताए थे और प्रति-परीक्षा में वह भी अपनी उस बात पर अडिग रहे, जो उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कही थी।

10- पी.डब्ल्यू.-3, डॉक्टर, जिन्होंने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था, उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि यौन अपराध के कारण ही उक्त चोटें आई थीं। अपनी प्रति-परीक्षा में वह भी अपनी उस बात पर अडिग रहीं, जो उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कही थी।

11- पी.डब्ल्यू.-4 वह डॉक्टर थे, जिन्होंने अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण किया था और पाया था कि वास्तविक अपराध के कारण हुई चोटों के अलावा, अभियुक्त के शरीर पर भी चोटें थीं क्योंकि भीड़ ने अभियुक्त की पिटाई की थी। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त के गुप्त अंग का खतना किया गया था।

12- पी.डब्ल्यू.-5 विवेचना अधिकारी थे और उन्होंने उस तरीके का वर्णन किया है, जैसे उन्होंने विवेचना किया था। पी.डब्ल्यू.-6 ने चिक रिपोर्ट को सिद्ध किया था।

13- अभियुक्त ने द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपराध से इनकार किया था और कहा था कि उसे पूर्व रंजिश के कारण फँसाया गया है। विचारण न्यायालय (अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, एटा) ने दिनांक 07.04.2010 को अपने समक्ष लाए गए साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, अभियुक्त को धारा 376(2)(एफ) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया था और उसे आजीवन कारावास तथा 20,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14- निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.04.2010 से व्यथित होकर वर्तमान आपराधिक अपील दायर की गई है।

15- वर्तमान अपील दिनांक 08.01.2026 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई थी और जब अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था, तो न्यायालय ने न्यायालय की सहायता के लिए श्री औशिम लूथरा (ए/ए0174/2019) को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया था। आज, विद्वान न्यायमित्र ने वाद में बहस किया है और प्रस्तुत किया है कि भले ही एफ.आई.आर. में रिपोर्ट की गई पूरी घटना को सही मान लिया जाए, फिर भी पीड़िता के गुप्त अंगों पर कोई शुक्राणु नहीं पाया गया था और अभियुक्त के गुप्त अंग पर कोई स्मेग्मा भी नहीं पाया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को इस वाद में पिछली रंजिश के कारण फँसाया गया है।

16- विद्वान ए.जी.ए. ने, हालांकि, अपील का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 अपराध होने के लगभग साथ-साथ ही मौके पर पहुँच गए थे और उन्होंने खुद अपनी आँखों से पाया था कि पीड़िता के गुप्त अंगों से रक्तस्राव हो रहा था और अभियुक्त अपनी पैंट ऊपर खींच रहा था और अपने गुप्त अंगों को ढँक रहा था और अभियुक्त तथा पीड़िता दोनों को चोटें आई थीं। उन्होंने चिकित्सा रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए आगे प्रस्तुत किया कि यदि चिकित्सा रिपोर्ट देखी जाए, तो इस तथ्य से बचने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है कि घटना घटी थी।

17- अंत में, हालांकि, विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त दिनांक 24.08.2008 से कारागार में है और वह अब लगभग सत्रह वर्ष और पाँच माह तक कारागार में रहा है और उसके द्वारा पर्याप्त सजा भुगती जा चुकी है।

18- श्री औशिम लूथरा, विद्वान न्यायमित्र और विद्वान ए.जी.ए. श्री मुनिराज मेहरोत्रा को सुनने के बाद, हमारे द्वारा देखे गए सभी साक्ष्यों के विश्लेषण के उपरांत, हमारा यह सुविचारित मत है कि घटना वास्तव में घटी थी और अभियुक्त न कि कोई अन्य व्यक्ति घटना के लिए जिम्मेदार था। पीड़िता और अभियुक्त दोनों के गुप्त अंगों पर चोटें थीं और इसलिए, इस तथ्य से बचने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है कि अभियुक्त स्वयं ही घटी घटना के लिए जिम्मेदार था। पीड़िता और अपीलार्थी दोनों के डॉक्टरों की रिपोर्ट का परिशीलन निश्चित रूप से दर्शाता है कि अभियुक्त ही अपराध करने के लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19- ऐसी परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, विद्वान न्यायमित्र द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा सत्रह वर्ष की कारागार की अवधि पूरी करने के बाद उसे और अधिक समय तक कारागार में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, हमारा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी ने आज तक जो सजा भुगती है, उसे अपीलार्थी को दी गई सजा माना जा सकता है। हालांकि, हमारा विचार है कि 20,000/- रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर 1,50,000/- रुपये कर दिया जाए, जो पीड़िता को दिया जाएगा और यदि पीड़िता, किसी भी कारणवश, इस दुनिया में नहीं है, तो यह पीड़िता की महिला विधिक उत्तराधिकारी को दिया जाएगा।

20- दण्डादेश में परिवर्तन के साथ, हम प्रस्तुत अपील को ऊपर बताए गए तरीके से आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं। जुर्माना/मुआवजे के भुगतान में व्यतिक्रम की स्थिति में, अपीलार्थी कारावास भुगतना जारी रखेगा, जो और तीन वर्षों के लिए विस्तारित होगा।

21- श्री औशिम लूथरा, विद्वान न्यायमित्र द्वारा किए गए कठिन परिश्रम के लिए, हम यह प्रावधान करते हैं कि उन्हें उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 25,000/- रुपये का शुल्क दिया जाए। भुगतान आदि की निगरानी न्यायालय के महानिबंधक द्वारा की जाए।

22- कार्यालय को 15 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस करने और इस निर्णय को विचारण न्यायालय को भी अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

19 जनवरी, 2026

सौरभ